

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद इटावा की सीवेज कनेक्टिंग चैम्बर्स के कार्यों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), 30प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 243/नागर-2/033-410/16, दिनांक 09.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-29/2016-6329/नौ-5-15-141बजट/2015, दिनांक 29.02.2016 के अनुक्रम में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद इटावा की सीवेज कनेक्टिंग चैम्बर्स के कार्यों हेतु निर्धारित लागत ₹0 1055.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में ₹0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, का व्यय हो जाने के आलोक में द्वितीय किश्त के रूप में ₹0 200.00 लाख (₹0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) शासनादेश संख्या-29/2016-6329/नौ-5-15-141बजट/2015, दिनांक 29.02.2016 द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
 - (2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
 - (3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
 - (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
 - (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 - (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
 - (8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
 - (9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का

दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-492-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के कार्यों हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या- 22/2017- 4004/नौ-5-16-141बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/इटावा ।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (का0 क्षे0), 30प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 9- अधिशासी अभियंता, 30प्र0 जल निगम, निर्माण इकाई, इटावा
- 10- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद इटावा जनपद इटावा ।
- 11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-10/01/2017

प्रेषण संख्या:- 22
आवंटन आदेश संख्या:- 001-22-2017-4004-9-5-16-141B-2015
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 124558000	20000000 124558000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20000000 124558000	20000000 124558000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया दो करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया बारह करोड़ पैंतालीस लाख अठ्ठावन हजार


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी